न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/293/2018

उनवान

1. सन्तोक पुत्री श्योकीशन पत्नी काना खाती उम्र वयस्क निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.) के बजायः–
   1/1कैलाश पुत्र काना खाती उम्र वयस्क निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/2रामपाल पुत्र काना खाती उम्र वयस्क निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

........अपीलार्थीगण

बनाम

1. कौशल्या पत्नी दुर्गा लाल खाती उम्र वयस्क निवासी कुचलवाड़ाकलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. जानकी पुत्रीदुर्गा लाल पत्नी रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी बवाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
3. नन्दा पुत्री दुर्गा लाल पत्नी उम्र वयस्क निवासी चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
4. राजेन्द्र पिता दुर्गा लाल खाती उम्र वयस्क निवासी डिग्गी नुकड़ जिला टोंक
5. ओमप्रकाश पिता दुर्गा लाल खाती निवासी कुचलवाड़ाकला
6. आत्माराम पिता सोचन्द खाती निवासी कुचलवाडाकला
7. नरपतसिंह पिता गिरधारी सिंह उम्र वयस्क निवासी कुचलवाड़ाकला
8. अरविन्द पिता हनुमानप्रसाद उपाध्याय उम्र वयस्क निवासी कुचलवाड़ाकला
9. श्यामलाल पिता राधेश्याम मीणा निवासी आदर्श कोलोनी, टोंक
10. उर्मिला पत्नी सत्यनारायण चन्द्रभवन पटेलनगर देवली जिला टोंक
11. दुर्गा लाल पिता रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी कुचलवाड़ाकला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
12. रामनिवास पिता रूघनाथ खात्ती निवासी घ्झटियाली तहसील केकड़ी जिला अजमेर
13. समस्वरूप पिता बजरंग लाल खाती उम्र वयस्क निवासी नासरदा तहसील देवली जिला टोंक
14. महावीर पिता बजरंग लाल खाती निवासी नासरदा तहसील देवली जिला टोंक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

15. महेशचन्द्र पिता बजरंग लाल खाती उम्र वयस्क निवासी नासरदा तहसील देवली जिला टॉक
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

........प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 31/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2018

अभिभाषक :

1. **श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. **श्री वेदप्रकाश , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1**
3. **श्री दीपक शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 8 व 11**

आदेश

दिनांक 13.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संतोक पुत्री श्योकिशन/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए , 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का उंचा में आराजी नं0 529,526 के वर्तमान जमाबन्दी में दुगालाल पिता रामचन्द्र खाती
526/1 रकबा । बीघा 2 बिस्वा राजेश कुमार पिता आत्माराम
526/2 रक्बा । बीघा 3 बिस्वा आत्माराम पिता स्योकिशन
529/1उर्मिला पत्नी सत्यनारायण मीणा श्यामलाल/राधेश्याम मीणा
529/2 दुर्गालाल पिता रामचन्द्र शाती
529/3 रकबा 1 बीघा आत्माराम पिता स्योकिशन खाती उक्त इन्द्राज जमाबंदी में आराजीनम्बर 526–529 के समस्त बटा नम्बर मे हो रखा है।

2. सम्वत् 2064 से 2066 तक सन् 2010 तक ग्राग–हनुमाननग पटवार हल्का उंचा में स्थित आराजी नम्बर 526 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी संख्या 529 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि दुर्गा लाल आत्माराम पिता स्योश्किान, खाती के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी।

3. चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संवत 2027 तक केसर बेवा स्योकिशन खाती के नाम पर थी। आराजीनम्बर 526–529 ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कुचलवाडा कला में स्थित थी। जो नया रेवेन्यू विलेज ग्राम हनुमाननगर बनने पर उसमे दर्ज किये।

4. श्रीमती केसर बेवा स्योकिशन खाती निवासी—कुचलवाडा कला का सजरा निम्न प्रकार है :—

केसर बेवा स्योकिशन

नर्बदा — बरजी — संतोष

नर्बदा → रामनिवास

बरजी → पुत्र रामस्वरूप — पुत्र महेश — पुत्र महावीर

5. श्रमती केसर के 3 नुत्रियॉ नर्बदा, बरजी व संतोष हुई। नर्बदा की मृत्यु हो गई उसका एक लडका रामनिवास व बरजी की मृत्यु हो गये उसके 3 लडके रामस्वरूप , महेश, महावीर हुए । सतोष जीवित है।

6. केसर के पुरूष संतान नही थी केवल 3 लडकियॉ थी इसलिए 20.12.2024 को एक बक्षीसनामा अपनी 3 तीनों पुत्रियों के नाम पर रजिस्ट्री करा दिया ।

7. चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि केसर की मृत्यु उपरान्त उनकी लडकियो के नाम खाता नहीं खोला गया नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 1.8.77 को ग्राम कुचलवाडा कलॉ खोला गया । विशेष विवरण में लिखा महोदयजी जी खातेदार फौत हो गई । उसके 2 पौते है । अतः नामान्तरकरण आदेश बेरून मियाद है। गिरदावर की रिपोर्ट तुलना की अंकन सही है। बेरून मियाद है। सरपंच ने लिखा इन्द्राज उसके पौते के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है व नामान्तरकरण फैसल किया।

8. दुर्गा लाल आत्माराम के परिवार का सजरा निम्न है

भैरू

सोचन्द — — लादू

सोचन्द → दुर्गालाल — आत्माराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. दुर्गालाल आत्माराम भैरू भैरू के पोता व सोचन्द्र के लडके है इन्होंनें अपने आपको स्योकिशन के वारिस बता खाता खुलवाया जबकि नामान्तरकरण नम्बर 28 में ही इनके पिता का नाम सोचन्द दर्ज है । दुर्गालाल आत्माराम ने वक्त के पटवारी से मिलकर गलत तरीके पर अपने नाम खाता खुलवाया ।

10. वादिया गरीब अनपढ महिला है व अनपढ होने से रेवेन्यू रेकार्ड की जानकारी नहीं रखती। इसलिए रेवेन्यू रेकार्ड का पता नहीं चला, 4.8.2010 को वादिया ने रेवेन्यू रेकार्ड की नकले ली तब पता चला। तब वादिया ने एस डी ओ कोर्ट जहाजपुर में दावा किया ।

11. वादिया की माँ गरीब थी घर में पुरूष संतान नहीं थी उसकी मृत्यु उपरान्त 3 बहने ससुराल में थी व माँ की मृत्यु उपरान्त जमीन संभालती व काश्त करवाती थी लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड की नकलें नहीं ली, नकले लेने पर दुर्गालाल आत्मारा द्वारा की गई कुटरचना का पता चला। वादी व उनसकी बहने हिन्दु लॉ के अनुसार भी पिता की सम्पति की वारिस थी व उसकी माँ ने भी रजिस्ट्री बक्षीसनाम से भी 3 बहिनों को अपनी सम्पति का वारिस बना दिया ।

12. वादिया ने चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के लिए मान्य न्यायालय में दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने जवाब पेश नहीं किया व दावे के दौरान 11.10.2010 को दुर्गालाल की ओर से श्री कैलाश बिडला व आत्माराम की ओर से शंकर लाल मण्डोवरा एडवाकेट उपस्थित हुए व पत्रावली जवाब में थी। लेकिन दिनांक 14.8.2012 को प्रतिवादी दुर्गालाल आत्माराम व दुर्गालाल पिता रामचन्द्र खाती वादी के पास आये व दावा उठाने की कहा । वह कहा हम तुम्हारी जमीन वापस तुम्हारे नाम करा देंगे या कीमत दे देंगे। कवह मुझे जहाजपुर लेकर आये व इन्होनें कागज तैयार करवा मेरे से दावा उठवा लिया। दरख्वास्त में क्या लिखा मैं अनपढ हूँ। मुझे केवल दावा उठाने की कहा व निसानी करवाई। लेकिन मुझके कीमत भी नहीं दी न ही जमीन मेरे नाम करवाई। तत्पश्श्चात रामनिवास रामस्वरूप आदि ने इसी जमीन का उनके हिस्से का दावा किया । तब मैंनें उनकसे कहा तो कहा हम कीमत की व्यवस्था करके देंगे व उसके बाद टालमटोल रकते रहे। मैं उनके विश्वास में रही व जमीन बेच दी व अब जमीन की कीमत देने से मना कर दिया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

13. दुर्गालाल की मृत्यु हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उसके वारिस है दुर्गा लाल के वारिस राजेन्द्र ओमप्रकाश, ने आश्वासन दिया हम आपकी जमीन की कीमत देगे। लेकिन किसी ने कीमत नहीं दी । अपितु दुर्गालाल –राजेन्द्र आत्माराम ने जमीन ट्रांसफर कर दी। प्रतिवादी संख्या 4–7 , 8–11 के नाम व प्रतिवादी संख्या 7–8 ने भी भूमि प्रतिवादी संख्या 9–10 के नाम पर कर दी। यह कि नामान्तकररण संख्या 482 –484 खोले गये जो निरस्त हो गये लेकिन उसके बात वाद में अंकित भ्भूमि के नामान्तरकरण संख्या 543–571–600 खोले गये। उन पर नोट नहीं डाले गये जबकि नामान्तरकरण संख्या 482–484 के बाद यह खोले गये। नामान्तरकरण नम्बर 482–484 के खारिज होने से उनके बाद के नामान्तरकरण नम्बर 513–571–600 खो गये उनका महत्व नहीं है।

14. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता दुर्गालाल व प्रतिवादी संख्या 6–10 ने षड्यंत्रपूर्वक मुझे धोखा देकर व झूठा आश्वासन देकर एस डी ओ कोर्ट जहाजपुर में मेरे द्वारा किये गये दावे को उठवा लिया। मैनें भी कोर्ट में इनके विश्वास में दावा उठाने की कहा। दरख्वास्त भी कोर्ट में पेश करने हेतु दुर्गालाल आत्माराम व दुर्गालाल पिता रामचन्द्र व आत्माराम के लडके राजेश सभी ने झूठा आश्वासन देकर वाद उठवाया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

15. वादी को वाद हेतुक दिनांक 4.8.2010 को जानकारी होने से पेश है तत्पश्चात दावा उठाने के कारण दिनांक 5.1.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादी को उसके हिस्से की भ्भूमि की कीमत देने व रजिस्ट्री कराने से मना करने के कारण दिनांक 5.1. 2016 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर जारी है।

16. अतः निवेदन है कि आराजी नम्बर 526–529 के बटा नम्बर डाले गये वह प्रतिवादी के स्थान पर वापस वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 12 से 15 के नाम पर दर्ज किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के प्रदान की जावे।

17. वाद के अन्दर अंकित आराजी नम्बर 526–529 व उसके बटा नम्बर डाले गये उनका वादी को व प्रतिवादी संख्या 12 से 15 को खातेदार घोषित करने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 प्रदान की जावे।

18. वाद के अन्दर अंकित आराजी पर अगर प्रतिवादी किसी तरह का निर्माण कर ले तो उसे तुडवा कर प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

19. अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण निर्णय व डिकी दिनांक 18.6.2018 द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

20. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

21. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी व आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में अपीलार्थीगण की माता वादिया सन्तोक की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया और उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत था।

22. अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की माता संन्तोक का देहान्त हो गया है तथा प्रार्थीगण मृतका सन्तोक के विधिक वारिसान है जिन्हें वादीया सन्तोक के कायमुकाम वादीगण बनाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। सन्तोष देवी की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण हक अधिकारी अपीलार्थीगण में निहित हो गए जिससे अपीलार्थीगणों को अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकुल होकर न्यायोचित व आवश्यक है ताकि अपीलार्थीगण अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष समुचित रूप से रख सके। अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है।

23. अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से हम अपीलार्थीगणों के हक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर हम प्रार्थी अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।

24. अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगणों को यदि वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकार से महरूम हो जायेगे और अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखने में भी महरूम हो जायेंगे इसलिए प्रार्थीगणों को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

25. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगणों को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृत प्रदान की जावे।

26. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी अपास किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और आनन–फानन में बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध होने से उक्त अनदान की अपील आप न्यायालय में पेश कर दी गई है।

27. अपीलार्थीगण/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीगण द्वारा कायममुकाम बनाये जाने हेतु आदेश 22 नियम 3 सी पी सी का प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत होकर तारीख 28.03.2018 की तारीख पेशी नियत थी। परन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी नहीं होने से सील लगाकर दिनांक 26.06. 2018 की तारीख पेशी नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को ही बिना अपीलार्थीगण को विधिवत् सूचना दिए निर्णय पारित कर दिया। जिससे अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं हुई व दिनाक 17.7.2018 को अपीलार्थीगण अपने नियुक्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया व नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 18. 7.2018 को नकल प्राप्त हुई। वक्त नकल से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

28. अपीलार्थीगण/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 18.06.2018 से दिनांक 18.07.2018 तक की समयावधि न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगें। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है

29. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर अवधि सुमार किए जाने का आदेश पारित किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

30. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण की माता की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम बनाये जाने बाबत आदेश 22 नियम 3 सी पी सी का प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2017 को प्रस्तुत किया व प्रार्थनापत्र की नकल रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता को दिलायी गई व उक्त पत्रावली जवाब हेतु नियत कर दिनांक 10.04.2017 की तारीख पेशी नियत की गई परन्तु उस दिन रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से दिनांक 05.07.2017 की पेशी नियत की गई और दिनांक 05.07.2017 को पीठासीन अधिकारी नही होने से सील लगाकर तारीख पेशी परिवर्तन कर दी गई व दिनांक 09.10.2017 की तारीख पेशी नियत की गई परन्तु उस दिन भी पीठासीन अधिकारी नही होने से सील लगाकर तारीख परिवर्तित करते हुए दिनांक 10.01.2018 की तारीख पेशी नियत की गई। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब हेतु 28.03. 2018 की तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 28.03.2018 को पीठासीन अधिकारी नही होने से सील लगाकर दिनांक 26.06.2018 की तारीख पेशी वास्ते जवाब हेतु नियत की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को न्याय आपके द्वार में पत्रावली तलब कर बिना विधिक सूचना अपीलार्थीगण को दिए ही पत्रावली फैसल कर दी जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

31. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.6.2018 को न्याय आपके द्वार में पत्रावली निर्णित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सुस्थापित नियमों की पालना नहीं कर लोक अदालत के नियमों की पालना नहीं कर निर्णित पारित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद राजस्व से संबंधित होकर, इसमें अपीलार्थीगण के हक अधिकार तय होने थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

32. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का समुचित अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थीगण की माता सन्तोक देवी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके कायममुकाम हेतु प्रार्थनापत्र अपीलार्थीगण द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था और उक्त प्रार्थनापत्र जवाब हेतु नियत था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का निर्णय पारित नहीं कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मात्र प्रतिवादी संख्या 11 की उपस्थिति दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

33. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त अनवान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और आनन–फानन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं।

34. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2018 को निरस्त करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

35. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी व आदेश 1 नियम 10 सी पी सी को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

36. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे क्योंकि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

37. प्रत्यर्थी संख्या 8 से 11 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण में 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था कि पूर्व में वादिया द्वारा समान पक्षकारों द्वारा समान आराजी पर समान विषय वस्तु प्रकरण चला था। प्रार्थना पत्र 11 सी पी सी पर वादी को विधिवत जानकारी थी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़

न्यायालय ने उसी के आधार वाद पत्र को खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

38. अपीलार्थीगण क योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि प्रकरण का निस्तारण प्रार्थनपा पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी पी सी के अधधा पर नहीं किया गया है। पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी पी सी विचाराधीन था।

39. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी एवं आदेश 1 नियम 10 सी पी सी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

40. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी अपास किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और आनन–फानन में बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय पारित कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध होने से उक्त अनदान की अपील आप न्यायालय में पेश कर दी गई है।

41. अपीलार्थीगण/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीगण द्वारा कायममुकाम बनाये जाने हेतु आदेश 22 नियम 3 सी पी सी का प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत होकर तारीख 28.03.2018 की तारीख पेशी नियत थी। परन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी नहीं होने से सील लगाकर दिनांक 26.06. 2018 की तारीख पेशी नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को ही बिना अपीलार्थीगण को विधिवत् सूचना दिए निर्णय पारित कर दिया। जिससे अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं हुई व दिनाक 17.7.2018 को अपीलार्थीगण अपने नियुक्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया व नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 18. 7.2018 को नकल प्राप्त हुई। वक्त नकल से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

42. अपीलार्थीगण/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 18.06.2018 से दिनांक 18.07.2018 तक की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

समयावधि न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगें। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है

43. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर अवधि सुमार किए जाने का आदेश पारित किया जावे।

44. रिबटल में प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक होने से न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

45. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन , अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार पत्रावली का निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी पी सी के आधार पर नहीं किया गया है। आदेशिका में सिर्फ यह अंकन किया गया है कि वादिया की मृत्यु हो चुकी है। वाद चलने योग्य नहीं है। इसी बिन्दु परखारिज कर दिया जो विधिक प्रकिया का उल्लंघन है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दिनांक 21.2.2017 से विचारधीन था। जिसका निस्तारण नही किया गया । इस प्रकार की प्रकिया विधि के विपरीत है व पक्षकार को न्याय से वंचित रखने के समान है। पारित आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

46. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 18.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए तदुपरान्त पक्षकारों को विधिवत सुनकर , जवाब का अवसर प्रदान कर , तनकियात कायम कर साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के साक्ष्य निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

पारित करे। उमयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 2/5/26 को उपस्थित रहे ।

आदेश आज दिनांक 13.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा